

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।  
क्रमांक :सखअ/समा/बजरी/2020/204


दिनांक:- 17-06-2020

### प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा चैकिंग के दौरान जब्त खनिज बजरी की नीलामी दिनांक 07.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर नगर विकास न्यास के पीछे, जटवाड़ा खुर्द, सवाई माधोपुर परिसर में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व बयाना राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते हैं।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत मूल्य	बयाना राशि/अमानत राशि
1	खनिज बजरी	5008 टन	4006400/-	50000/-

नोट:- नीलामी से संबंधित शर्तों का अवलोकन वेबसाइट [mines.rajasthan.gov.in](http://mines.rajasthan.gov.in) व [www.dipr.rajasthan.gov.in](http://www.dipr.rajasthan.gov.in) पर जाकर किया जा सकता है एवं खनिज बजरी के स्टॉक के संबंध में जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

  
( ललित मंगल )  
सहायक खनि अभियन्ता,  
सवाई माधोपुर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।  
कमांक :- सखअ/समा0/अवैध स्टॉक/2020/  
दिनांक :-

तहसील खण्डार में खनिज बजरी के जल स्टॉको का विवरण

क्र०सं०	जल्टी दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट/लॉन्गीट्यूट	जल्ट खनिज की मात्रा
1	16.07.19	बडौद	ग्राम विकास अधिकारी, बडौद	26°58'13.21" 76°38'30.88"	120 टन
2	12.03.20	बरनावदा	कनिष्ठ सहायक, बरनावदा	26°0'12.39" 76°39'1.34"	150 टन
3	12.03.20	नायपुर	ग्राम विकास अधिकारी, नायपुर	26°5'44.04" 76°39'31.34"	30 टन
4	12.03.20	नायपुर	ग्राम विकास अधिकारी, नायपुर	26°5'41.53" 76°39'31.4192"	30 टन
5	12.03.20	नायपुर	ग्राम विकास अधिकारी, नायपुर	26°5'50.26" 76°39'27.33"	30 टन
6	12.03.20	नायपुर	ग्राम विकास अधिकारी, नायपुर	26°5'46.57" 76°39'30.96"	60 टन
7	12.03.20	नायपुर	ग्राम विकास अधिकारी, नायपुर	26°5'25.69" 76°39'46.13"	08 टन

तहसील खण्डार में खनिज बजरी का कुल स्टॉक मात्रा 428 टन है।

*(Handwritten signature)*

**तहसील चौथ का बरवाडा में खनिज बजरी के जब्त स्टॉको का विवरण**

क्र०सं०	जब्ती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट / लॉन्गीट्यूट	जब्त खनिज की मात्रा
1	02.10.19	शिवाड	पटवारी, शिवाड़	26°11'21.47" 76°2'42.76"	100 टन
2	02.06.2020	देवली	गिरदावर	26°08'28.23882" 76°6'26.72028"	120 टन
3	02.06.2020	देवली	गिरदावर	26°08'41.67874" 76°6'44.19152"	100 टन
4	02.06.2020	देवली	गिरदावर	26°08'36.47684" 76°6'38.62607"	100 टन
5	02.06.2020	देवली	गिरदावर	26°08'32.35514" 76°6'33.45289"	150 टन
6	02.06.2020	देवली	गिरदावर	26°08'25.86697" 76°6'20.37632"	100 टन
7	02.06.2020	देवली	गिरदावर	26°08'24.4692" 76°6'14.78069"	130 टन
8	02.06.2020	ऐचेर	गिरदावर	26°09'36.86306" 76°7'5.79068"	300 टन

तहसील चौथ का बरवाड़ा में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 1100 टन है।

*(Handwritten signature)*

तहसील मलारना डूंगर में खनिज बजरी के जब्त स्टॉको का विवरण

क्र०सं०	जबती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट / लॉन्गीट्यूट	जब्त खनिज की मात्रा
1	19.07.19	श्यामोली	रोजगार सहायक, सांकड़ा	26°14'14.86" 76°34'18.36"	200 टन
2	20.07.19	भारजा गददी		26°15'11.51" 76°23'12.40"	400 टन
3	20.07.19	भाड़ौती	पटवारी, भाड़ौती	26°15'14.74" 76°22'58.70"	150 टन

तहसील मलारना डूंगर में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 750 टन है।

*[Handwritten signature]*

**तहसील बाँली में खनिज बजरी के जब्त स्टॉको का विवरण**

क्र०सं०	जबती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट / लॉन्गीट्यूट	जब्त खनिज की मात्रा
1	02.03.20	बन्धावल	ग्राम विकास अधिकारी, बन्धावल	26°14'22.4" 76°8'28"	150 टन
2	02.03.20	बन्धावल	ग्राम विकास अधिकारी, बन्धावल	26°14'48" 76°8'47"	200 टन
3	16.06.20	राठौद	श्री अनिल कुमार बेल्ट नं. 1178	26°11'03" 76°10'47.5"	300 टन
4	16.06.20	राठौद	श्री अनिल कुमार बेल्ट नं. 1178	26°10'55.1" 76°10'50.8"	400 टन
5	16.06.20	बडागॉव	श्री अनिल चौधरी एफ.सी. 1041	26°19'30" 76°13'37.6"	150 टन
6	16.06.20	बडागॉव	श्री अनिल चौधरी एफ.सी. 1041	26°17'06" 76°13'18"	400 टन
7	16.06.20	बपूई	पटवारी शिव प्रकाश मीना	26°20'34.2" 76°09'06.4"	150 टन
8	16.06.20	बागडोली	श्री शाविर मोहम्मद बेल्ट नं. 1042	26°18'53.68" 76°10'37.51"	400 टन
9	16.06.20	बागडोली	श्री शाविर मोहम्मद बेल्ट नं. 1042	26°13'56.0" 76°10'40.41"	100 टन
				26°14'3.58" 76°10'26.47"	250 टन
				26°15'59.18" 76°10'27.94"	80 टन
				26°14'10.79" 76°9'45.34"	70 टन

तहसील बाँली में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 2650 टन है।

*(Handwritten Signature)*

तहसील सवाई माधोपुर में खनिज बजरी के जब्त स्टॉको का विवरण

क्र०सं०	जबती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट/लॉन्नीट्यूट	जब्त खनिज की मात्रा
1	13.03.20	जड़ावता	ग्राम विकास अधिकारी,	26°14'48" 76°8'47"	80 टन


तहसील सवाई माधोपुर में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 80 टन है।

जिला सवाई माधोपुर में भौतिक सत्यापन के बाद खनिज बजरी के शेष स्टॉक की मात्रा 5008 टन है।




### खनिज बजरी नीलामी की शर्तें

1. बेलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
2. बेलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व बयाना राशि 50000/- रुपये एवं अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का डी.डी. सहायक खनि अभियन्ता सवाई माधोपुर के पक्ष में कार्यालय में जमा कराना होगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात 3 दिवस में विक्रय मूल्य की समस्त राशि के डी.डी. के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. संबन्धित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।
5. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व किसी भी दिवस में स्टॉक स्थल पर जाकर किया जा सकता है।
6. जब्तशुदा बजरी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सफल बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
7. बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही ( लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
8. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.सी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होंगे।
9. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबन्धित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सवाई माधोपुर होगा।
10. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस अनुमत होगा।



11. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
12. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को **What's app** पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
13. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को **What's app** पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
14. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
15. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
16. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
17. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
18. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
19. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
20. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।

  
(ललित मंगल)

सहायक खनि अभियन्ता,  
सवाई माधोपुर